

न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णिमाँ)

T.S-15/2020

13.09.2022      उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई।

अभिलेख आज वादी की ओर से दिनांक-27.10.2021 को प्रस्तुत आवेदन के अन्तर्गत आदेश-39 नियम-1 एवं 2 सी0 पी0 सी0 तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष (प्रतिवादी संख्या-1) की ओर से दिनांक-08.12.2021 को प्रस्तुत कारण पृच्छा एवं प्रतिउत्तर तथा प्रतिवादी सं0-5,6,7 एवं 8 की ओर से दिनांक-26.04.2022 को दाखिल प्रतिउत्तर पर सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त वर्णित आवेदन के आलोक में कथन किये हैं कि वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत करके अनुतोष मांगा है कि विवादित भूमि पर वाद के निष्पादन होने तक अग्रिम निर्माण रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादी का दिनांक-03.07.2017 के विक्रय विलेख के आधार पर स्वत्व को घोषित किया जाय एवं वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा बनाये गये निर्माण को ध्वस्त कर कब्जा दिलाया जाय। वादी के द्वारा कहा गया है कि वादग्रस्त भूमि का Plot No. 2195 रकबा-0.13 डिसमील प्रतिवादी सं0-6 एवं 8 की पैतृक संपत्ति है जो आर0 एस0 खतियान में ननकी ठाकुर के नाम से दर्ज है। ननकी ठाकुर प्रतिवादी सं0-6 एवं 8 के दादा थे। इसीप्रकार वादग्रस्त भूमि का Plot No. 2194 रकबा-0.34 डिसमील अनिल यादव से संबंधित है जिसे अनिल यादव ने प्रतिवादी सं0-6 एवं 8 के पिता भगवत ठाकुर को निबंधित दो केवाला दिनांक-23.11.1981 एवं 21.05.1994 के माध्यम से विक्रय कर दिया। जिसका जमाबंदी भगवत ठाकुर के नाम से आजीवन चलता रहा। इस प्रकार प्रतिवादी सं0-6 एवं 8 के उत्तराधिकारी वादग्रस्त भूमि के स्वत्व अधिकारी थे। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी तृतीय पक्ष वादी के पक्ष में अन्तरण होने तक जोत-कोद कर रहे थे। वादी गीता देवी वादग्रस्त भूमि का निबंधक केवाला सं0-4149 दिनांक-03.07.2017 को प्रतिवादी सं0-5 के द्वारा विक्रय किये जाने पर खरीदा। प्रतिवादी सं0-5 ने वादग्रस्त भूमि को अपने ससुर भगवत ठाकुर से निबंधक केवाला सं0-5261 दिनांक-23.08.2011 को खरीदा था। जिसका उसके पक्ष में नामान्तरण हो गया था और प्रतिवादी सं0-5 के पक्ष में जमाबंदी रसीद निर्गत होने लगी। प्रतिवादी सं0-1 वादग्रस्त भूमि के अवैध क्रेता है। वादी के द्वारा अन्तर्गत धारा-107 Cr.P.C. एवं अन्तर्गत धारा-4 B.L.D.R. Act के अन्तर्गत प्रक्रिया को चलाया। इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-11.08.2022 को अस्थाई ब्यादेश के

आवेदन का निष्पादन होने तक उभय पक्षों को वादग्रस्त भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। जिसके पश्चात प्रतिवादीगण के द्वारा न्यायालय के आदेश को नजर अंदाज किया गया। जिस पर वादी के द्वारा बनमनखी थाना में थाना कांड सं०-279/2022 दिनांक-19/08/2022 दर्ज कराया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण को वाद विचारण के दौरान वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का परिवर्तन एवं निर्माण करने से रोका जाय क्योंकि प्रथम दृष्टया यह वाद वादी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत होता है तथा यदि प्रतिवादीगण को विवादित भूमि पर निर्माण करने से न रोका गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करके वाद विचारण तक उन्हें विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने तथा कोई निर्माण कार्य करने से रोका जाय।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से कारण पृच्छा प्रस्तुत कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मामला वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लायक नहीं है। प्रतिवादी मंजू देवी बिना किसी स्वत्व के भूमि का वादी गीता देवी को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी भगवत ठाकुर के पुत्र श्रीकांत ठाकुर से क्रय किया है। इसप्रकार प्रथम दृष्टया यह वाद वादी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत नहीं होता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न करने से कोई क्षति भी नहीं होगी, तथा ऐसी परिस्थिति में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है।

प्रतिवादी सं०-5,6,7 एवं 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी के पक्ष में ब्यादेश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा वादी के पक्ष में शांतिपूर्ण कब्जा केवाला करने के पश्चात सपूत किया गया है ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा अस्थाई ब्यादेश के आवेदन पर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का कहना है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं०-5 मंजू देवी से क्रय किया है तथा प्रतिवादी के द्वारा शांतिपूर्ण वादग्रस्त भूमि पर हस्तगत कराया गया है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर बार-बार हस्तक्षेप करते रहते हैं एवं निर्माण कार्य करते हैं। इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-11.08.2022 को यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिये जाने के पश्चात भी प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया एवं वादग्रस्त भूमि को निबंधित केवाला के द्वारा क्रय किया है। प्रतिवादी सं०-5,6,7 एवं 8 को भी अस्थाई ब्यादेश वादी के पक्ष में जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं। अतः यदि प्रतिवादी विवादित भूमि पर निर्माण कार्य

कर लेता है तो वादी के द्वारा वाद लाने का मुख्य उद्देश्य भी समाप्त हो जाएगा। उक्त वाद का उचित न्याय निर्णयन हेतु विवादित भूमि का यथा स्थिति बनाये रखना अतिआवश्यक है। वादी के द्वारा निबंधित केवाला की छाया प्रति तथा लगान रसीद दाखिल किया गया है। वादी के द्वारा भूमि सुधार उप समारहता बनमनखी के द्वारा निर्गत आदेश दिनांक-03.05.2018 को दाखिल किया गया है। जिसमे स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं०-1 के द्वारा वादी की भूमि पर जबरन दखल कर लिया गया है। वादी के दखल कब्जा दिलाने हेतु आदेशित किया गया है। प्रतिवादी सं०-1 के द्वारा कोई भी दस्तावेज अभी तक दाखिल नहीं किया गया है एवं प्रतिवादी सं०-5,6,7 एवं 8 के द्वारा अस्थाई ब्यादेश जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया यह वाद वादी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत होता है तथा प्रतिवादी सं०-1 का कहना है कि वादी को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है एवं प्रतिवादी सं०-5 के द्वारा बिना स्वत्व के भूमि का विक्रय किया गया है जिसे वादी के द्वारा क्रय किया गया है किन्तु प्रतिवादी सं०-1 के द्वारा इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा अस्थाई ब्यादेश का आदेश पारित नहीं किये जाने पर वादी का वाद लाने का मुख्य उद्देश्य वाद विचारण के दौरान समाप्त हो जाएगा। इस तरह वादी को अपूर्णाय क्षति होगी।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की विवेचना के उपरान्त वादी की ओर से अस्थाई ब्यादेश आवेदन के अन्तर्गत आदेश-39 नियम-1 एवं 2 दिनांक-27.10.2021 को स्वीकार करते हुए उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर वाद विचारण के दौरान विवादित भूमि की प्रकृति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करेंगे तथा उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य भी नहीं करेंगे।

इस आदेश में वर्णित मंतव्य वाद के अंतिम न्याय निर्णयन में गुणदोष को प्रभावित नहीं करेंगे।

वाद दिनांक-23.09.2022वास्ते उपस्थिति हेतु।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश